जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांक: जविप्रा/आर्ति.मु.न.नि/मा.प्लान/2024डी-396 दिनांक 22/8/22

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त.......... 2022

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जयपुर मास्टर विकास योजना–2025 जयपुर विकास प्राधिकरण की 60वीं बैठक दिनांक 05.09.2011 के द्वारा अनुमोदित होकर दिनांक 06.09.2011 से लागू किया गया है। मास्टर विकास योजना–2025 के यू–2 क्षेत्र में सड़क के सहारे–सहारे सड़क की चौड़ाई के आधी गहराई तक व्यावसायिक भू–पट्टी आरक्षित करने व पूर्व में जविप्रा द्वारा किये गये कमिटमेंट्स व जोन के प्रस्ताव अनुसार जोन–12 के क्षेत्राधिकार में अजमेर रोड़ से ग्राम सांझरियां को उत्तरी रिंग रोड़ से मिलाने वाली जोनल विकास योजना–16 की प्रस्तावित 60 मीटर सड़क के अलाईनमेंट में संशोधन किये जाने के संबंध में बीपीसी–एलपी की 301वीं बैठक दिनांक 23.07.2021 के निर्णय के क्रम में सार्वजनिक विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। बीपीसी–एलपी की 311वीं बैठक दिनांक 22.12.2021 में प्राप्त आपत्ति/सुझाव का निस्तारण किया जाकर कार्यकारी समिति की 234वीं बैठक दिनांक 21.02.2022 में उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जविप्रा से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जविप्रा अधिनियम, 1982 की धारा 25(1) के अन्तर्गत यह अधिसूचित किया जाता है कि:–

1. भविष्य में मास्टर विकास योजना–2025 व जोनल प्लान के यू–2 क्षेत्र में 30 मीटर व इससे अधिक चौडी सड़कों पर सड़क के सहारे–सहारे सड़क की चौड़ाई के आधी गहराई तक सैक्टर व्यावसायिक भू–पट्टी आरक्षित रखी जावें।
2. पूर्व में जविप्रा द्वारा किये गये कमिटमेंट्स व जोन के प्रस्ताव अनुसार जोन–12 के क्षेत्राधिकार में अजमेर रोड़ से ग्राम सांझरियां को उत्तरी रिंग रोड़ से मिलाने वाली जोनल विकास योजना–16 की प्रस्तावित 60 मीटर सड़क के अलाईनमेंट में संशोधन का निर्णय लिया गया।

(उज्ज्वल राठौड़)
सचिव
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (1140); ई-मेल : ctpmp2025@gmail.com

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

Azadi Ka Amrit Mahotsav

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक (अभियांत्रिकी / आयोजना / वित्त / विधि / परियोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व / पश्चिम / भूमि / एल.पी.सी.), जविप्रा, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मा.प्लान / बीपीसी), जविप्रा, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक (मा.प्लान / एल.पी. / प्रोजेक्ट), जविप्रा, जयपुर।
9. उपायुक्त जोन–1 से 14 एवं पी.आर.एन (उत्तर–I, II / दक्षिण–I,II), जविप्रा, जयपुर।
10. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर।
11. लेखाधिकारी भुगतान, जविप्रा, जयपुर को भेजकर कर लेख है कि अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जानी है, इस हेतु नियमानुसार दो पृष्ठों के लिए रूपये .... का डी.डी. इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे, जिससे उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जा सके।
12. उप निदेशक (जनसंपर्क), जविप्रा, जयपुर।
13. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
14. नोटिस बोर्ड।

अति.मुख्य नगर नियोजक, (मा.प्लान),
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - : ईपीबीएक्स - +91-141 2569696 एक्सटेंशन : {1140}: ई-मेल : actpmp2025@gmail.com